भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 775
17 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी

775. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्माः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली में कितने लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना का लाभ उठाया है;

(ख) योजना के अंतर्गत अपंजीकृत पथ विक्रेताओं को शामिल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना की शुरुआत से लेकर अब तक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गई ऋण धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पथ विक्रेताओं के बीच ई-वाणिज्य को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): 15.09.2020 की स्थिति के अनुसार, पीएम स्व-निधि के अन्तर्गत दिल्ली में प्राप्त ऋण आवेदन, स्वीकृत ऋण और वितरित ऋणों की संख्या क्रमश : 7971; 1,014; और 77 है।

(ख): शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा कराए गए निर्धारण सर्वे से छूट गए वेंडर भी पी स्व-निधि पोर्टल के माध्यम से यूएलबी के समक्ष सिफारिश पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के अन्तर्गत ऋण का लाभ उठा सकते हैं।

(ग): ऋणदाता संस्थाओं द्वारा 15 सितंबर, 2020 तक संवितरित की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरे का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ): पीएम स्व-निधि में यह प्रावधान है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र ई-वाणिज्य को बढ़ाने और संबंधित एजेंसियों जैसे खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण से आवश्यक गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पथ विक्रेताओं की क्षमता निर्माण करने हेतु रोडमेप तैयार कर सकते हैं ।

****

दिनांक 17 सितंबर, 2020 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 775 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक		
15-09-2020 की स्थिति के अनुसार पीएम स्व-निधि के अन्तर्गत वितरित ऋण का राज्य-वार ब्यौरा		
क्रं. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वितरित राशि (करोड़ रु. में)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.015
2	आंध्र प्रदेश	1.787
3	अरुणाचल प्रदेश	0.093
4	असम	0.011
5	बिहार	0.222
6	चंडीगढ़	0.111
7	छत्तीसगढ़	0.674
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	0.055
9	दिल्ली	0.070
10	गोवा	0.010
11	गुजरात	1.690
12	हरियाणा	0.395
13	हिमाचल प्रदेश	0.120
14	जम्मू और कश्मीर	0.004
15	झारखंड	1.182
16	कर्नाटक	0.899
17	केरल	1.195
18	लद्दाख	0.000
19	मध्य प्रदेश	84.044
20	महाराष्ट्र	1.468
21	मणिपुर	0.088
22	मेघालय	0.000
23	मिजोरम	0.024
24	नागालैंड	0.000
25	ओडिशा	0.561
26	पुडुचेरी	0.006
27	पंजाब	0.052
28	राजस्थान	0.513
29	सिक्किम	0.000
30	तमिलनाडु	1.572
31	तेलंगाना	4.874
32	त्रिपुरा	0.020
33	उत्तर प्रदेश	1.963
34	उत्तराखंड	0.104
35	पश्चिम बंगाल	0.003
कुल		103.823